

समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड

दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत जन्म से दिव्यांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक भत्ता दिये जाने हेतु पेंशन का प्रार्थना-पत्र

समाज कल्याण की वैबसाईट www.socialwelfare.uk.gov.in

- 1 * योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है.....
- 2 * अभिभावक का बी0पी0एल0 कमांक (खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिया गया बी0पी0एल0 प्रमाण-पत्र अथवा (उपरोक्त में से कोई एक प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें)
- 3 * आवेदक का नाम कु0/श्री.....
- 4 * माता/पिता का नाम श्री
- 5 * जाति.....
- 6 * स्थायी पता-.....
मोहल्ला/ग्राम.....
पोस्टआफिस-.....
ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम.....
न्याय पंचायत विकासखण्ड.....
तहसील..... जनपद.....
- 7 * पत्र व्यवहार का पता (यदि स्थायी पते से अलग रह रहे हों).....
मोहल्ला/ग्राम.....
पोस्टआफिस-.....
ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम.....
न्याय पंचायत विकासखण्ड.....
तहसील..... जनपद.....
- 8 * जन्मतिथि/आयु
(भाग-दो परिवार रजिस्टर की नकल प्रति या शैक्षिक अभिलेख का प्रमाण-पत्र की प्रति)
- 9 * दिव्यांगता का प्रतिशत..... दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें।
- 10 * उस डाकघर/ई बैंकिंग सुविधायुक्त बैंक शाखा का नाम एवं पता जहाँ बच्चे के साथ उसकी माता अथवा पिता के साथ संयुक्त खाता खोला गया है.....
* खातासंख्या
* IFSC Code No
- 11 * डाकघर/ बैंक शाखा पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट फोटो प्रति संलग्न करें।
- 11 * आधार नम्बर
- 12 * माता/पिता अथवा अभिभावक का मोबाइल नम्बर

नवीनतम फोटो जो ग्राम प्रधान/सदस्य क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत अध्यक्ष/सभासद नगरपालिका/ग्राम विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापित

अभिभावक द्वारा घोषणा-

मैं कु0/श्रीमती/श्रीघोषणा करती/करता हूँ कि आवेदन-पत्र में उपरोक्त दी गयी सूचना सही हैं। गलत सूचना के आधार पर मेरे द्वारा लाभ प्राप्त करने पर नियमानुसार मुझसे, सरकार द्वारा दिये गये लाभ की वसूली भू-राजस्व की भौति कर ली जाय।

दिनांक.....

माता/पिता अथवा अभिभावक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

प्रमाणित किया जाता है कि कु0/श्री...../पिता.....जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम एवं दिव्यांगता प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक हैं, और दिव्यांग भरण पोषण भत्ता अनुदान हेतु पात्रता की श्रेणी में आती हैं/आते हैं, का आज खुली बैठक में चयन किया।

ग्रामीण क्षेत्र के लिये

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, के हस्ताक्षर, नाम सहित एवं मुहर

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर, नाम सहित एवं मुहर

शहरी क्षेत्र के लिये

सहायक समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर

उप जिलाधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर

नोट-

* सम्बन्धित कालम अनिवार्य रूप से भरे जाने हैं।

- सम्बन्धित कालम ऐच्छिक/उपलब्धता के आधार रूप से भरे जाने हैं।